

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	सोनाराम चौधरी रामावि वीदो की दाणी, बाडमेर	सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक	21-07-1961	01-07-1991	30 YEAR	30-06-2021	01-07-2021	L-15

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 28/3/2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/सोनाराम/2022/43

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. बाडमेर, जिला बाडमेर।
- 3 प्रधानाध्यापक, रामावि, वीडो की दाणी, बाडमेर।
- 4 संबंधित कार्मिक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 गार्ड फंजिका

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सरदारी/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	महेन्द्र मोहन जोशी रा.मा. विद्यालय गोपवास पाली	सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक	25-Feb-60	12-Dec-96	20 YEAR	11-Dec-16	12-Dec-16	L-16
2	महेश चन्द्र, राउमावि बिरोल, झुन्झुनू	सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य	4-Jul-61	27-Jul-90	30 YEAR	26-Jul-20	27-Jul-20	L-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 28/03/22

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी ऑफ लाईन/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, पाली/झुन्झुनू।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. मारवाड ज. /नवलगढ़, जिला पाली/झुन्झुनू।
- 3 प्रधानाध्यापक, रामावि, गोपवास पाली।
- 3 प्रधानाचार्य, राउमावि बिरोल, झुन्झुनू।
- 4 संबंधित कार्मिक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली/झुन्झुनू।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 गार्ड फंजिका

(3244)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
✓ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर